पत्रांक–12 / प्रशिक्षण–89 / 2007 ....99........

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

डॉ० विनोदानन्द झा,
निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण।

सेवा में,

प्राचार्य,
सभी अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय,
सभी जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान,
सभी प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय,
सभी प्रखण्ड अध्यापक शिक्षा संस्थान।

पटना, दिनांक– 17 मार्च 2021..........

विषयः– **बिहार राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता / पोती / नाती / नतीनी को राज्य सरकार द्वारा संचालित अध्यापक शिक्षा संस्थानों में संचालित होने वाले डी.एल.एड., बी.एड. तथा एम.एड. कोर्स में 02 (दो) प्रतिशत आरक्षण देने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त मार्गदर्शन पत्र संख्या–11 / आ० विविध–05 / 2021 सा०प्र०–3110 दिनांक–05.03.2021 पत्र के साथ संलग्न किया जा रहा है।

तदआलोक में उपर्युक्त कोटि के रिक्त रह गये सीट पर नामांकन की अग्रतर कार्रवाई की जाए।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन

16/3/21

(विनोदानन्द झा)
निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण।

E:\SUMAN MAM\DESKTOP\Sec-12\niranjan jee\vividha Letter.docx

पत्र संख्या–11/आ0 विविध–05/2021 सा0प्र0 3110

बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

मो0 सिराजुद्दीन अंसारी,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

डॉ0 विनोदानन्द झा,
निदेशक, शोध एवं प्रशिक्षण,
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक– 5-3- /फरवरी, 2021

विषय :– **बिहार राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्हे केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को राज्य सरकार द्वारा संचालित अध्यापक शिक्षा संस्थानों में संचालित होने वाले डी.एल.एड., बी.एड. तथा एम. एड. कोर्स में 02 (दो) प्रतिशत आरक्षण देने के संबंध में।**

महोदय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–33 दिनांक–28.01.2021 द्वारा राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के पोता/पोती/नाती/नतीनी को राज्य सरकार द्वारा संचालित अध्यापक शिक्षा संस्थानों में संचालित होने वाले डी0एल0एड0, बी0एड0 तथा एम0एड0 कोर्स में 02 (दो) प्रतिशत आरक्षण देने के संबंध में मार्गदर्शन की मांग की गई है।

उल्लेखनीय है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प ज्ञापांक– 13185 दिनांक–03.09.2015 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा इस संबंध में किया गया प्रावधान निम्नवत है–

बिहार राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्हे केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को **राज्य सरकार की सेवाओं में नियुक्ति में 02 (दो) प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण** प्रदान किया जाय अर्थात चयनित उम्मीदवार जिस आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग से संबंधित होंगे, उनकी गिनती उसी आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग में की जायेगी।

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि यह प्रावधान मात्र राज्याधीन सेवाओं की नियुक्ति में की गई है तथा विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में यह प्रावधान लागू नहीं है।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

(मो0 सिराजुद्दीन अंसारी)
सरकार के अवर सचिव।

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

विषय – **बिहार राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को राज्य सरकार की सेवाओं में नियुक्ति में 2 (दो) प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान करने के संबंध में।**

अखिल भारतीय स्वतंत्रता सेनानी संगठन, बिहार के द्वारा पत्र के माध्यम से अनुरोध किया जाता रहा है कि स्वतंत्रता सेनानियों के उत्तराधिकारियों को हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं अन्य राज्यों में जो सुविधा प्रदान की जा रही है, उसी की भाँति बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के उत्तराधिकारियों को भी सुविधा प्रदान की जाय। इस संदर्भ में दिनांक–30.07.2015 को प्रधान सचिव, गृह विभाग की अध्यक्षता में स्वतंत्रता सेनानियों के उत्तराधिकारियों के साथ बैठक की गई।

बिहार राज्य के निकटवर्ती अन्य राज्यों से उनके राज्यान्तर्गत स्वतंत्रता सेनानियों को दी जा रही सुविधाओं से संबंधित सूचनाएँ प्राप्त की गई।

एतद् संबंधी प्राप्त सूचनाओं के अनुसार उत्तराखंड राज्य की सेवाओं में केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत स्वतंत्रता सेनानियों के आश्रितों को 2 (दो) प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जा रहा है।

अतः राज्य सरकार ने भली–भाँति विचारोपरान्त निर्णय लिया है कि बिहार राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों, जिन्हें केन्द्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता/पोती/नाती/नतीनी को राज्य सरकार की सेवाओं में नियुक्ति में 2 (दो) प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जाय, अर्थात चयनित उम्मीदवार जिस आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग से संबंधित होंगे, उनकी गिनती उसी आरक्षित/गैर आरक्षित वर्ग में की जायेगी।

यह आदेश तुरंत प्रभावी होगा।

आदेश–आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना/लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना/कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना/बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, पटना/केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती)/पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/अति पिछड़े वर्गो के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना/राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना/राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना/बिहार विधान सभा सचिवालय, पटना/बिहार विधान परिषद् सचिवालय, पटना/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त एवं सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(राजेन्द्र राम)
सरकार के अपर सचिव।

794

ज्ञापांक–11 / आ0नी0–I–10 / 2015 सा0प्र0.....पटना–15, दिनांक–.....

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, बिहार, पटना को बिहार गजट के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इसकी 200 मुद्रित प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

ह0 / –
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–11 / आ0नी0–I–10 / 2015 सा0प्र0 13185 पटना–15, दिनांक– 3-9-15

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार पटना / सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना / सचिव, कर्मचारी चयन आयोग, बिहार, पटना / प्रभारी पदाधिकारी, बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद, बिहार, पटना / सचिव, केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) पटना / सदस्य सचिव, पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना / सचिव, अति पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग, बिहार, पटना / सचिव, राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना / बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाईटी, बिहार, पटना, उप सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना / उपसचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना / सचिव, बिहार विधान सभा, बिहार, पटना / सचिव, बिहार विधान परिषद् बिहार, पटना / सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष / सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी विश्वविद्यालयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

प्रत्येक विभाग / विभागाध्यक्ष से अनुरोध है कि उनके अधीन सभी कार्यालयों / स्थानीय निकायों / निगमों / लोक सेवा उपक्रमों / पर्षदों को अविलम्ब सूचित करा दें।

सरकार के अपर सचिव।